तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **गिरिराज जोशी बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 143/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-06-2022	अपीलार्थी गिरिराज जोशी पुत्र केदारनाथ जोशी, पता कायस्थ मोहल्ला, नागौर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.04.2022 में (1) क्षेत्राधिकार (पीपाड़शहर तहसील) में स्थित राजकीय कार्यालयों, पंचायतराज संस्थाओं, कॉपरेटिव संस्थाए एवं नगर निकायों द्वारा पिछले जनवरी 2017 से सूचना दिये जाने की दिनांक तक में इन्द्रज्ञानादेश मासिक पत्रिका अथवा इन्द्रज्ञानादेश पाक्षिक समाचार पत्र को जारी किए गए विज्ञापन एवं भुगतान के संबंध में विज्ञापन जारी किए जाने से संबंधित दस्तावेजों(कार्यालय टिप्पणी, यू.ओ. नोट, आदेश, पत्र, विज्ञापन का विवरण प्रारूप) की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 2379 दिनांक 14.06.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि उपखण्ड कार्यालय पीपाड़शहर में पिछले पांच वर्षो जनवरी 2017 से आज तक इन्द्रज्ञानादेश मासिक पत्रिका अथवा इन्द्रज्ञानादेश पाक्षिक समाचार पत्रों को किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं छपवाया गया एवं न ही किसी प्रकार का कोई भुगतान किया गया। अपील निरस्त करने की प्रार्थना की। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना बाबत् विधिक प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए उन्हें सूचित नहीं किया गया, जो खेदजनक है। अतः अपील [illegible] की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम प्रावधानों के तहत चाही गई सूचना की वस्तुस्थिति से प्रार्थी को तुरन्त अवगत करावे तथा भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण यथासमय निर्धारित समयावधि में किय जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:21:48 IST
Reason: SelfAttested